राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(51) ग्राविवि–5/PMAY-/प्रगति/2019–20 **जयपुर, दिनांक 20 मई, 2020**

जिला कलक्टर,
जिला करौली, टोंक एवं बून्दी।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक की प्रगति के संबंध में।

प्रसंग :– महालेखाकार, राज. जयपुर के पत्र दि .6.3.20 एवं विभागीय पत्र दिनांक 12.03.20

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के अभिलेखों की निष्पादन लेखा परीक्षा महालेखाकार, राजस्थान जयपुर द्वारा निष्पादित की गई, जिसके संबंध में दिनांक 13.05.2020 को आयोजित एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान योजना की प्रगति की समीक्षा उपरान्त राज्य की औसत प्रगति 96.80% के परिप्रेक्ष्य में निम्न जिलों की प्रगति काफी कम होने के संबंध में टिप्पणी चाही है :–

क.स.	जिला	प्रतिशत प्रगति
1	करौली	86.94
2	टोंक	87.22
3	बूंदी	93.80

योजनान्तर्गत आवासों को समय पर पूर्ण कराने हेतु समय–समय पर विभागीय समीक्षा बैठकों/विडियो कॉन्फ्रेंस एव विभागीय पत्रों द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी आपके जिले की प्रगति राज्य की औसत प्रगति की तुलना में कम होना योजना कियान्वयन में उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके स्तर पर योजना की नियमित समीक्षा कर योजना कियान्वयन में लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वर्ष 2018–19 तक स्वीकृत आवासों में से अपूर्ण आवासों को दिनांक 30 मई, 2020 तक पूर्ण कराकर विभाग को कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित करें।

सलंग्न–प्रगति रिपोर्ट।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि ,निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, ग्रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. उप महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान–जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. प्रोगामर, ग्राविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)